

फर्द अहकाम

प्रमाणित बनाम मंगला

उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

नाम न्यायालय
केस संख्या

149/2024

(2024/263)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पडाभा द्वारा। मूलवाद के साथ पत्रावली दिनांक 30/01/25 को पेश हो।	
	30/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पडाभा द्वारा। पत्रावली मूलवाद के साथ दिनांक 31/01/25 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर
	31/01/25	पत्रावली पेश हुई। वहुलाय उपस्थित। प्रा. पत्र से सम्बन्धित मूलवाद में प्रा. पत्र नम्बर 11 पर के स्वीकार होने पर वादपत्र खारिज हो चुका है। जिससे इस प्रा. पत्र को इसी दफ्तर पर खारिज किया जा रहा है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 31/01/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर